m-18

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 30.11-2002 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

***

नई दिल्ली, तारीख 12.11-2002.

अधिसूचना

का0आ0..........केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित ~~नियम~~ बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) (संशोधन) नियम 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. दुग्ध उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में,-

(i) नियम 2 के खंड (भ) में,-

(क) हिन्दी पाठ में कोई त्रुटि नहीं है ।

(ख) "समुद्रित वायुरोधी" शब्दों से आरंभ होने वाले और "सुरक्षित हों" शब्दों पर समाप्त होने वाले पैरा का लोप किया जाएगा ;

(ii) उक्त नियनों के नियम 3 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रसंस्कारक, स्थापन की नियमित मानीटरिंग करके अपेक्षाओं का, इन नियमों के उपनियम 4.18 में विहित नियंत्रण मानकों के अनुसार अनुपालन करते हैं । परिषद् स्कीम की प्रभावी मानीटरिंग के लिए समय-समय पर इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करेगी ।";

(iii) उक्त नियनों के नियम 4 में,-

(क) हिन्दी पाठ में कोई त्रुटि नहीं है ।

(ख) पैरा 4.12 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4.12. ऐसे किन्हीं पदार्थों का, जिनमें भेषजगुण विज्ञानीय या हार्मोन क्रियाएं और प्रति जैविकी, नाशकजीव मार, अपमार्जक नियत अनुज्ञात स्तरों से अधिक है, कोई अपशिष्ट नहीं होगा, जिससे कि वे उन्हें हानिकारक बना दें या वे उनके संवेदी लक्षणों को परिवर्तित कर दें या उनका उपभोग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक बना दे ।";

(ग) पैरा 4.16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4.16. सक्षम प्राधिकारी, स्थापन के अनुमोदन के मामले में निर्यात निरीक्षण परिषद्, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, उद्योग, सहकारिता के प्रतिनिधियों की सहायता ले सकेगा ।";

(iv) उक्त नियमों के नियम 5 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) सक्षम प्राधिकारी प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक के निवेदन पर स्वयं का यह समाधान हो जाने पर कि सुसंगत मानकों की अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं, कोई अन्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकेगा ।";

(v) उक्त नियमों के उपाबंध-क की मद 2 की उपमद (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) वे परिसर, जहां दुग्ध निकाला जाता है या दुग्ध भंडारित किया जाता है, रख-रखाव किया जाता है या ठंडा किया जाता है, उनका निर्माण/या सन्निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वहां दुग्ध के संदूषण के सभी जोखिमों से बचा जा सके ।"

[फा0सं0 6/1/2000-ईआईएंडईपी]

(राज सिंह)
उप सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम का0 आ0 2720 तारीख 28-11-2000 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 16-12-2000 में प्रकाशित किये गए थे ।

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 30.11.2002

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE AND INSDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE

...

New Delhi, the 12.11-2002

NOTIFICTION

S.O 3749 In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely : -

(1) These rules may be called the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) (Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said Rules), -

(i) in rule2, in Clause (x), -

(a) for the word "residcal" the word "residual" shall be substituted;

(b) the paragraph beginning with the words "A hermetically sealed container ........" and ending with the words "entry of micro organisms" shall be omitted;

(ii) in rule 3 of the said rules, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely : -

"(b) The Competent Authority shall ensure that all the processors comply with the requirements by regular monitoring of the establishment as per the control measures prescribed in sub rule 4.18 of these rules. For effective monitoring of the scheme, the Council shall issue necessary instructions in this regard from time to time." ;

(iii) in rule 4 of the said rules, -

(a) in paragraph 4.7, for the word "lavelling" the word "labelling" shall be substituted;

(b) for paragraph 4.12, the following shall be substituted, namely : -

"4.12.There shall not have any residue of substances having a pharmacological or hormonal action, and of antibiotics, pesticides, detergents in excess of the permitted levels fixed so as to make them harmful or which might alter their organoleptic characteristics or make their consumption dangerous or harmful to human health.";

(c) for paragraph 4.16, the following shall be substituted, namely : -

"4.16. The Competent Authority may take the assistance of representatives from Export Inspection Council, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, Ministry of Agriculture, Ministry of Food Processing Industries, National Dairy Development Board, National Dairy Research Institute, industry, co-operatives in the matter of approval of establishment." ;

(iv) for clause (b) of rule 5 of the said rules, the following shall be substituted, namely : -

"(b) The Competent Authority shall also issue any other certificates on request from the processor or exporter after satisfying itself that the requirements of the relevant standards are met.";

(v) for sub item (2) of item 2 of Annexure A of the said rules, the following shall be substituted, namely : -

"(2) Premises where milking is performed or milk is stored, handled or cooled must be so made and / or constructed as to avoid all risk of contamination of the milk."

[File No. 6/1/2000-EI&EP]

(Raj Singh)
Deputy Secretary

Note: The Principal rules were published vide S.O.2720 dated 28.11.2000, published in the Gazette of India Part II, section 3, sub-section (ii) dated 16.12.2000.